



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273323  
CG-DL-E-11062026-273323

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2861]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2861]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

का.आ. 2955(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से पुनः प्रत्यायन प्राप्त करने के उपरांत, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित एजेंसी को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	गवेषण एजेंसी	गवेषण एजेंसी की श्रेणी
1.	मेसर्स नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	'क'

1. उक्त एजेंसी, तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम.वि-16/15/2021-खान VI द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वोक्त कार्य संचालित करेगी।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और पाँच वर्ष की अवधि तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति या निरस्तीकरण तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य रहेगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI-भाग (1)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2026

**S.O. 2955(E).**— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), upon obtaining re-accreditation from the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notify the following agency for the purposes of the said Act, namely:—

Sl. No.	Exploration agency	Category of exploration agency
1.	M/s Novomine India Private Limited	'A'

1. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the guidelines issued *vide* Order No.M.VI-16/15/2021-Mines VI dated the 12<sup>th</sup> August, 2021.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of five years or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022- Mines VI- Pt. (1)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.